



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-23

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 258807 दिनांक 03/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Suman Kumari Jatav W/o Dharmendra Singh Shivanand	सुमन कुमारी जाटव पत्नी श्री धर्मन्द्र सिंह शिवानंद	72-B	90.89 SQ. METER	JDA	CHAKROL Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना चककरोल के भूखण्ड संख्या 72 क्षेत्रफल 349.87 व.मी. की लीजडीड दिनांक 16.07.2007 को प्रवीण भारद्वाज पुत्र श्री हरिश भारद्वाज के नाम से जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 349.87 व.मी. में से बेचान के आधार पर भूखण्ड संख्या 72 बी क्षेत्रफल 90.89 व.मी. का उपविभाजन पत्र दिनांक 11.09.2019 को राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चंद शर्मा के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2019 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

राकेश कुमार
द्वारा श्रीमती
सुष्मिता मीणा
पत्नी श्री विनोद
कुमार मीना को
कर दिया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड का बैचान
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
24.02.2020 को
श्रीमती सुष्मिता
मीणा पत्नी श्री
विनोद कुमार
मीना द्वारा सुमन
कुमारी जाटव
पत्नी श्री धर्मन्द्र
सिंह शिवानंद को
कर दिया गया।
आवेदिका द्वारा
नाम हस्तान्तरण
हेतु निवेदन किय
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
अनुमोदनार्थ
प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Suman Kumari Jatav W/o Dharmendra Singh Shivanand को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004